तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
30-5-17	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प तलावडा पर पेश हुई। प्रार्थी (वादी) एवं अप्रार्थी मांगीलाल (प्रतिवादी) उपस्थित हुए। पक्षकारों ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि प्रतिवादीगण विवादित भूमि में लगे टावर की भूमि का कन्वर्जन 3 माह में करवा लेंगे। भूमि कन्वर्जन नहीं करायेंगे तो भूमि सिवायचक दर्ज कर दी जावेगी। पक्षकारों को सुना गया। प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण ~~इस~~ राजीनामा अनुसार इस प्रकार निर्णित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि ख०नं० $\frac{1606}{396}$ रकबा 0-25 हैक्टर में से 120 वर्गमीटर भूमि स्थित ग्राम तलावडा का प्रतिवादीगण 3 माह की अवधि में वाणिज्यिक रुपान्तरण करवा लेंगे। इस अवधि में रूपान्तरण नहीं करवाने पर उपरोक्त वर्णित 120 वर्गमीटर भूमि सिवायचक के रूप में दर्ज कर दी जावेगी। इसी प्रकार पत्रावली में डिक्री जारी की जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (रवि कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी (सतीश कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी (बाबूलाल जाट) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	मांगीलाल गुप्ता

प्रपत्र–4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– तलावडा

राजीनामा प्रपत्र

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय,

दिनांक 30/5/17

शिविर – तलावडा
तहसीलदार बनाम मांगीलाल वगैरह
प्रकरण संख्या :– 23/13 अन्तर्गत धारा 177 R.T. Act

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी
हम है, कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं। हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :–

कि विवादित भूमि में लगे रास्ता भूमि का ... अप्रार्थीगण ... के ... लोगों ... में ... नहीं ... सीमांकन ... दर्ज ... होवे ... आधार पर ... दोनों पक्ष सहमत है। अन्य अप्रार्थीगण ...

अतः श्रीमान् से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमे का निस्तारण करने की कृपा करें।

पक्ष 1. (हस्ताक्षर) न.त.
2. ....
3. ....
4. ....

प्रतिवादी पक्ष 1. मांगीलाल गुप्ता
2. ....
3. ....
4. ....

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर सरोज मीना
सरपंच
ग्राम पंचायत तलावडा
पं०स०गंगापुर सिटी (स०मा०)
(वादी पक्ष) नाम ....

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर (हस्ताक्षर) 30/5/17
(प्रतिवादी पक्ष) नाम प्रधानाचार्य
रा०उ०मा०वि० तलावडा

प्रार्थी/वादी नायब तहसीलदार तलावडा एवं अप्रार्थी/ प्रतिवादी मांगीलाल गुप्ता
.... द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामें की इबारत को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया गया। अतः राजीनामा हस्बख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य)

(रवि कुमार शर्मा)
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(सतीश कुमार शर्मा)
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(बाबूलाल जाट)
अध्यक्ष
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
गंगापुर सिटी
एवं
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) तलावडा

पीठासीन अधिकारी–: बाबूलाल जाट, आर.ए.एस.

उनवान

1. लेण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

बनाम ––वादी

1. मांगीलाल पुत्र फूलचंद महाजन निवासी नारायणपुर तह0 गंगापुर सिटी
2. रूपचंद पुत्र फूलचंद महाजन निवासी नारायणपुर तह0 गंगापुर सिटी
3. प्रेमचंद पुत्र फूलचंद महाजन निवासी नारायणपुर तह0 गंगापुर सिटी
4. मु. गुलकंदी बेबा फूलचंद महाजन निवासी नारायणपुर तह0 गंगापुर सिटी ––प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177 आर. टी. एक्ट

मुकदमा नं. – 23/2013

वादी की ओर से वादी लेण्ड होल्डर (नायव तहसीलदार) की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी मांगीलाल की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 30.5.2017 को बाबूलाल जाट (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार भूमि ख.न. 1606/396 रकबा 0.25 हेक्टर मे से 120 वर्ग मीटर भूमि स्थित ग्राम तलावडा का प्रतिवादीगण 3 माह की अवधि में वाणिज्यिक रूपान्तरण करा लेगे। भूमि रूपान्तरण नही कराने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित 120 वर्गमीटर की भूमि को सिवायचक के रूप मे दर्ज कर दी जावेगी। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 30.5.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

बाबूलाल जाट
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 ....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	